न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/110

1. बालचन्द आयु 52 पुत्र श्री जवाहर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हीराबाई आयु 53 साल बेवा पत्नी बालचन्द
   1/2. राजेन्द्र आयु 38 साल आत्मज बालचन्द
   1/3. शिवराज आयु 32 साल आत्मज बालचन्द
   1/4. संतोष बाई आयु 35 साल पुत्री बालचन्द जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मदन लाल आयु 50 वर्ष
3. कमला बाई आयु 60 वर्ष
4. शान्ति बाई आयु 58 वर्ष
5. कौशल्या बाई आयु 55 वर्ष
6. भूरी बाई बेवा जवाहर लाल आयु 78 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मथुरा लाल आयु 75 वर्ष पुत्र डालू जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. रत्तीराम पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/2. बाबूलाल पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/3. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/4. रामनिवास पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/5. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/7. मन्नी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/8. कल्याणी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/9. रामकन्या बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल आयु 48 साल जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. निर्मल कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिंग पुत्र मदनलाल पौत्र छोटूलाल ।
10. कमलेश आुय 15 वर्ष नाबालिंग पुत्री मदन लाल पौत्र छोटू लाल नाबालिंगान जरिये वली ताऊ रामगोपाल वल्द छोटूलाल जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. गीता बाई पुत्री छोटूलाल पत्नी राधेश्याम आयु 28 साल जाति लश्करी निवासी ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. नाथी बाई बेवा छोटूलाल आयु 70 वर्ष जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. रणजीत पुत्र रघुनाथ आयु 30 साल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   13/1. मोहनी बाई विधवा पत्नी स्व0 रणजीत ।
   13/2. सोमशे पुत्री स्व0 रणजीत आयु 22 वर्ष ।
   13/3. बबलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 20 वर्ष ।
   13/4. पपीता पुत्री स्व0 रणजीत आयु 18 वर्ष ।

13/5. चिकलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता मोहनी बाई बेवा स्वर्गीय रणजीत जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

14. नवल किशोर पुत्र रघुनाथ आयु 25 वर्ष जाति लश्करी ।

15. तुलसा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 35 वर्ष जाति लश्करी ।

16. इन्द्रा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 32 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल पुत्र भंवर लाल आयु 80 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. केसरी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
   1/2. जानकी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
   1/3. मोडूलाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
   1/4. मनोहर लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
   1/5. रामप्यारी पुत्री स्वर्गीय रामलाल
   1/6. केली बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
   1/7. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
   1/8. सुशीला पुत्री स्वर्गीय रामलाल
   1/9. सीता पत्नी स्वर्गीय रामलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मूलचन्द पुत्र भंवर लाल आयु 75 वर्ष जाति लश्करी ।
3. प्रभूलाल पुत्र मोती लाल आयु 58 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. शान्ति बाई विधवा पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल ।
   3/2. मीना कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 28 वर्ष ।
   3/3. मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 26 वर्ष ।
   3/4. शीला कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता शान्ति बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रतन लाल पुत्र मोतीलाल आयु 55 वर्ष जाति लश्करी ।
5. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल आयु 52 वर्ष जाति लश्करी ।
6. गजानन्द पुत्र मोतीलाल आयु 45 वर्ष जाति लश्करी ।
7. रामकल्याण पुत्र मोतीलाल आयु 40 वर्ष जाति लश्करी ।
8. केसर बाई पुत्री मोतीलाल आयु 48 वर्ष जाति लश्करी ।
9. अनार बाई पुत्री मोतीलाल आयु 38 वर्ष पौत्र एवं पौत्रीगण भंवरलाल जी लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2 श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 04.07.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2017के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 06 किता की 4.15 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित । उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता डालू, भंवरलाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल के शामलाती खाते की थी जिस पर पुश्तैनी रूप से मौखिक बंटवारे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2 – 1/2 हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि रकबा 4.15 हैक्टर में से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । उक्त आराजी पर पक्षकारान के मध्य हुए पूर्व विभाजन अनुसार वादीगण के 1/2 हिस्से व कब्जे कश्शत की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1602, 1603, 1604,, 1605, की 1.98 हैक्टर भूमि शामलाती खाते से हटायी जाकर वादीगण के पृथक खाते दर्ज की जावे और इसी अनुसार लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को प्राप्त उनके हिस्से की 1/2 भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2017 के द्वारा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.217 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये हैं वह प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि है

जिसे न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1603, 1604, 1605, 1659 व 1660 कुल रकबा 4.06 हैक्टर भूमि जिसके गत भू–प्रबन्ध के पूर्व रहे खसरा नम्बर 1122, 1123, व 1124 थे तथा उससे पूर्व हुए सेटलमेंट संवत् 2016 के पूर्व रहे खसरा नम्बर 1106, व 1107 वाली भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज कान्हा उर्फ कन्हैया लाल आत्मज प्रमोद जाति लश्करी के नाम रही थी अर्थात् खसरा नम्बर 1106 व 1107 वाली भूमि पैतृक ही थी जो कान्हा के बाद वारिसान भंवरलाल व डालू के पास ही शामलाती रही । चूँकि संयुक्त परिवार में बर्ड पुत्र कर्ता को ही पटेलाई में रहने व होने का रिवाज प्रथा रही होने से तत्समय महकमा खास द्वारा विवादित भूमि संयुक्त परिवार के बडे व कर्ता होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में भंवर लाल के नाम से दर्ज सहवन वश रही लेकिन उक्त भूमि के अपने जीवनकाल में मालिक स्वामी व काबिज भंवर लाल व डालू ही चले आ रहे थे । भंवर लाल व डालू की मृत्यु के बाद भी उक्त भूमि को आपसी बराबर–बराबर से आपसी पारिवारिक सहमति व मौखिक विभाजन अनुसार उन दोनों के वारिसान भी अपने–अपने पास मालिकाना कब्जे काश्त में रखते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं । इस अनुसार विवादित तत्समय वाली भूमि संयुक्त परिवार की ही भूमि रहती चली आ रही होने से बाद के पक्षकारान की पैतृक भूमि ही कानूनन मानी जावेगी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को अकेले भंवर लाल को ही पटेलाई में प्राप्त होना मानते हुए उसकी स्वअर्जित भूमि मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी उनकी स्वअर्जित भूमि हो । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना गलत निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.02.2017 निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पेश वादीगण अपीलान्ट के वाद को वादीगण अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित व डिक्री किये जाने बाबत् आदेश पारित किया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी से वादीगण अपीलान्ट व उनके पूर्वज डालू का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । यह भूमि प्रारम्भ से ही भंवर लाल आत्मज श्री कन्हैयालाल के तन्हा खाते में रही है । विवादित भूमि कभी भी डालू के खाते में नहीं रही । डालू के खाते में केवल खसरा नम्बर 1602 की 0.09 हैक्टर भूमि रही है जो आज भी वादीगण अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी माफी पटेलाई की भूमि है जो प्रारम्भ से ही भंवर लाल जी के नाम दर्ज थी । उक्त भूमि में कभी भी डालू जी का नाम सहकाश्तकार के रूप में दर्ज नहीं रहा । सेटलमेंट विभाग ने सही रूप से भूमि भंवरलाल जी के नाम दर्ज की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि में उसका कभी कोई नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि

नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.02.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2011 (2) पेज 721, 2011 (1) आरआरटी पेज 575 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1603, 1604, 1605, 1659 व 1660 कुल रकबा 4.06 हैक्टर भूमि जिसके गत भू–प्रबन्ध के पूर्व रहे खसरा नम्बर 1122, 1123, व 1124 थे तथा उससे पूर्व हुए सेटलमेंट संवत् 2016 के पूर्व रहे खसरा नम्बर 1106, व 1107 वाली भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज कान्हा उर्फ कन्हैया लाल आत्मज प्रमोद जाति लश्करी के नाम रही थी अर्थात् खसरा नम्बर 1106 व 1107 वाली भूमि पैतृक ही थी जो कान्हा के बाद वारिसान भंवरलाल व डालू के पास ही शामलाती रही है और अपीलान्टगण अपने हिस्से पर काबिज है जो रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम से साबित है ।

13. चूँकि संयुक्त परिवार में बर्ड पुत्र कर्ता को ही पटेलाई में रहने व होने का रिवाज प्रथा रही होने से तत्समय महकमा खास द्वारा विवादित भूमि संयुक्त परिवार के बडे व कर्ता होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में भंवर लाल के नाम से दर्ज सहवन वश रही लेकिन उक्त भूमि के अपने जीवनकाल में मालिक स्वामी व काबिज भंवर लाल व डालू ही चले आ रहे थे । भंवर लाल व डालू की मृत्यु के बाद भी उक्त भूमि को आपसी बराबर–बराबर से आपसी पारिवारिक सहमति व मौखिक विभाजन अनुसार उन दोनों के वारिसान भी अपने–अपने पास मालिकाना कब्जे काश्त में रखते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलान्टगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है जो रेस्पोडेन्ट द्वारा काउन्टर क्लेम से भी साबित है । इस अनुसार विवादित तत्समय वाली भूमि संयुक्त परिवार की ही भूमि रहती चली आ रही होने से बाद के पक्षकारान की पैतृक भूमि ही कानूनन मानी जावेगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को अकेले भंवर लाल को ही पटेलाई में प्राप्त होना मानते हुए उसकी स्वअर्जित भूमि मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी उनकी स्वअर्जित भूमि हो । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना गलत निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.02.2017 निरस्त किया जाता है । ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1603, 1604, 1605, 1659 व 1660 कुल रकबा 4.06 हैक्टर भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 1602, 1603, 1604, 1605 की 1.98 भूमि जिस पर वादीगण अपीलान्टगण काबिज काश्त हैं पर खातेदार घोषित किया जाता है । उक्त राजस्व अपीलान्टगण के नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पर अमल

दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण अपीलान्टगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

16. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/110

1. बालचन्द आयु 52 पुत्र श्री जवाहर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. हीराबाई आयु 53 साल बेवा पत्नी बालचन्द
   1/2. राजेन्द्र आयु 38 साल आत्मज बालचन्द
   1/3. शिवराज आयु 32 साल आत्मज बालचन्द
   1/4. संतोष बाई आयु 35 साल पुत्री बालचन्द जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मदन लाल आयु 50 वर्ष
3. कमला बाई आयु 60 वर्ष
4. शान्ति बाई आयु 58 वर्ष
5. कौशल्या बाई आयु 55 वर्ष
6. भूरी बाई बेवा जवाहर लाल आयु 78 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मथुरा लाल आयु 75 वर्ष पुत्र डालू जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   7/1. रत्तीराम पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/2. बाबूलाल पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/3. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/4. रामनिवास पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/5. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मथुरा लाल
   7/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/7. मन्नी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/8. कल्याणी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
   7/9. रामकन्या बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल आयु 48 साल जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. निर्मल कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिंग पुत्र मदनलाल पौत्र छोटूलाल ।

10. कमलेश आयु 15 वर्ष नाबालिंग पुत्री मदन लाल पौत्र छोटू लाल नाबालिंगान जरिये वली ताऊ रामगोपाल वल्द छोटूलाल जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. गीता बाई पुत्री छोटूलाल पत्नी राधेश्याम आयु 28 साल जाति लश्करी निवासी ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. नाथी बाई बेवा छोटूलाल आयु 70 वर्ष जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. रणजीत पुत्र रघुनाथ आयु 30 साल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
13/1. मोहनी बाई विधवा पत्नी स्व0 रणजीत ।
13/2. सोमशे पुत्री स्व0 रणजीत आयु 22 वर्ष ।
13/3. बबलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 20 वर्ष ।
13/4. पपीता पुत्री स्व0 रणजीत आयु 18 वर्ष ।
13/5. चिकलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता मोहनी बाई बेवा स्वर्गीय रणजीत जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
14. नवल किशोर पुत्र रघुनाथ आयु 25 वर्ष जाति लश्करी ।
15. तुलसा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 35 वर्ष जाति लश्करी ।
16. इन्द्रा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 32 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र भंवर लाल आयु 80 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1/1. केसरी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/2. जानकी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/3. मोडूलाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/4. मनोहर लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/5. रामप्यारी पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/6. केली बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/7. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/8. सुशीला पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/9. सीता पत्नी स्वर्गीय रामलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मूलचन्द पुत्र भंवर लाल आयु 75 वर्ष जाति लश्करी ।
3. प्रभूलाल पुत्र मोती लाल आयु 58 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
3/1. शान्ति बाई विधवा पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल ।

3/2. मीना कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 28 वर्ष ।
3/3. मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 26 वर्ष ।
3/4. शीला कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता शान्ति बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4. रतन लाल पुत्र मोतीलाल आयु 55 वर्ष जाति लश्करी ।
5. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल आयु 52 वर्ष जाति लश्करी ।
6. गजानन्द पुत्र मोतीलाल आयु 45 वर्ष जाति लश्करी ।
7. रामकल्याण पुत्र मोतीलाल आयु 40 वर्ष जाति लश्करी ।
8. केसर बाई पुत्री मोतीलाल आयु 48 वर्ष जाति लश्करी ।
9. अनार बाई पुत्री मोतीलाल आयु 38 वर्ष पौत्र एवं पौत्रीगण भंवरलाल जी लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 226/दावा/2009

1. बालचन्द आयु 52 पुत्र श्री जवाहर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. हीराबाई आयु 53 साल बेवा पत्नी बालचन्द
   1/2. राजेन्द्र आयु 38 साल आत्मज बालचन्द
   1/3. शिवराज आयु 32 साल आत्मज बालचन्द
   1/4. संतोष बाई आयु 35 साल पुत्री बालचन्द जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मदन लाल आयु 50 वर्ष
3. कमला बाई आयु 60 वर्ष
4. शान्ति बाई आयु 58 वर्ष
5. कौशल्या बाई आयु 55 वर्ष
6. भूरी बाई बेवा जवाहर लाल आयु 78 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. मथुरा लाल आयु 75 वर्ष पुत्र डालू जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—

7/1. रत्तीराम पुत्र स्व0 मथुरा लाल
7/2. बाबूलाल पुत्र स्व0 मथुरा लाल
7/3. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मथुरा लाल
7/4. रामनिवास पुत्र स्व0 मथुरा लाल
7/5. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मथुरा लाल
7/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
7/7. मन्नी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
7/8. कल्याणी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल
7/9. रामकन्या बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

8. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल आयु 48 साल जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. निर्मल कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिंग पुत्र मदनलाल पौत्र छोटूलाल ।
10. कमलेश आयु 15 वर्ष नाबालिंग पुत्री मदन लाल पौत्र छोटू लाल नाबालिंगान जरिये वली ताऊ रामगोपाल वल्द छोटूलाल जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11. गीता बाई पुत्री छोटूलाल पत्नी राधेश्याम आयु 28 साल जाति लश्करी निवासी ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. नाथी बाई बेवा छोटूलाल आयु 70 वर्ष जाति लश्करी निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. रणजीत पुत्र रघुनाथ आयु 30 साल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

13/1. मोहनी बाई विधवा पत्नी स्व0 रणजीत ।
13/2. सोमशे पुत्री स्व0 रणजीत आयु 22 वर्ष ।
13/3. बबलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 20 वर्ष ।
13/4. पपीता पुत्री स्व0 रणजीत आयु 18 वर्ष ।
13/5. चिकलू पुत्र स्व0 रणजीत आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता मोहनी बाई बेवा स्वर्गीय रणजीत जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

14. नवल किशोर पुत्र रघुनाथ आयु 25 वर्ष जाति लश्करी ।
15. तुलसा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 35 वर्ष जाति लश्करी ।
16. इन्द्रा बाई पुत्री रघुनाथ आयु 32 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

रामलाल पुत्र भंवर लाल आयु 80 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. केसरी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/2. जानकी लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/3. मोड़ूलाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/4. मनोहर लाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल
1/5. रामप्यारी पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/6. केली बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/7. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/8. सुशीला पुत्री स्वर्गीय रामलाल
1/9. सीता पत्नी स्वर्गीय रामलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. मूलचन्द पुत्र भंवर लाल आयु 75 वर्ष जाति लश्करी ।
3. प्रभूलाल पुत्र मोती लाल आयु 58 वर्ष (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

3/1. शान्ति बाई विधवा पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल ।
3/2. मीना कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आुय 28 वर्ष ।
3/3. मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 26 वर्ष ।
3/4. शीला कुमारी पुत्री स्वर्गीय प्रभूलाल आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता शान्ति बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4. रतन लाल पुत्र मोतीलाल आयु 55 वर्ष जाति लश्करी ।
5. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल आयु 52 वर्ष जाति लश्करी ।
6. गजानन्द पुत्र मोतीलाल आयु 45 वर्ष जाति लश्करी ।
7. रामकल्याण पुत्र मोतीलाल आयु 40 वर्ष जाति लश्करी ।
8. केसर बाई पुत्री मोतीलाल आयु 48 वर्ष जाति लश्करी ।
9. अनार बाई पुत्री मोतीलाल आयु 38 वर्ष पौत्र एवं पौत्रीगण भंवरलाल जी लश्करी निवासीगण लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 04.07.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.02.2017 निरस्त किया जाता है । ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1603, 1604, 1605, 1659 व 1660 कुल रकबा 4.06 हैक्टर भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 1602, 1603, 1604, 1605 की 1.98 भूमि जिस पर वादीगण अपीलान्टगण काबिज काश्त हैं पर खातेदार घोषित किया जाता है । उक्त राजस्व अपीलान्टगण के नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पर अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण अपीलान्टगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 04.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा